उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 19/2020/161/92-2-20-18एम//2018

लखनऊ:: दिनांक:: 16 जनवरी 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 03 प्रमुख मार्गो के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं की मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0 की जांच आख्या दि0 18-04-2019 व 20-05-2019 में परिलक्षित अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-304/92-2-19-18एम/2018 दि0 24.06.2019 द्वारा श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-श्रावस्ती के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0), ग्रा0अ0वि0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1013/दि0 27-11-2019 द्वारा श्री अंसारी को व्यक्तिगत/मौखिक सुनवाई हेतु दिनांक 04-12-2019 को प्रात: 11.30 बजे का समय निर्धारित किया गया। जिसके क्रम में श्री अंसारी के पत्रांक-687/दिनांक 03-12-2019 से अपना पक्ष जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) के पत्र सं0-1066/ग्रा0अ0वि0/ अनु0जांच/जन0-भदोही/ एस0टी0-273/19-20 दिनांक 10-12-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी, श्री अंसारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-2885/92-2-19-18एम/18 दि0 13-12-2019 से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत श्री अंसारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्रसं0-724/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/भदोही/19-20 दि0 16-12-19 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत माधोसिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड तक सम्पर्क मार्ग में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित रखने के लिये जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में नहीं किया गया। इस प्रकार से आप योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य न कराकर, अधोमानक कार्य करवाने, कार्य एवं अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के लिये उत्तरदायी पाये जाते है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 18.04.2019 में पृष्ठ संख्या-14 से 18 में निरीक्षण की स्थिति का उल्लेख किया है कि इस मार्ग के चैनेज 1.300 किमी0, चैनेज 2.415 किमी एवं चैनेज 3.950 किमी0 पर पिट काटकर चेक की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट में जी-3 एवं जी-2 दोनो की मोटाई 7.50-7.50 सेमी0 पायी गयी है। अत: माधोसिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्पर्क मार्ग में निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में न कराने का आरोप साक्ष्य विहीन है।

प्राविधिक परीक्षण (द्वितीय) की जांच आख्या दिनांक 18.04.2019 में माधोसिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड सम्पर्क मार्ग के चैनेज 3.950 किमी0 में जी0-2 में अन्डर साइज स्टोन बैलास्ट प्रयोग करने का उल्लेख किया गया है। आरोप के साक्ष्य के साथ अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, पीआईयू-संत रविदास नगर के पत्र दि0 08.04.2019 से माधोसिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड तक सम्पर्क मार्ग का कार्य कराने वाले अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता द्वारा जो-जो कार्य कराया गया है, उसका बीजकवार, मदवार एवं चैनेजवार कार्य पर मात्र चैनेज 1850 मी0 से 2310 मी0 एवं 3125 से 4100 मी0 में जी0-2 का कार्य उनकी देखरेख में करवाये जाने का उल्लेख है, जिसका भुगतान तृतीय रनिंग बीजक में किया गया था। आरोप के साक्ष्य टी0ए0 सी0 की जांच आख्या में चैनेज 3950 किमी0 पर जी0-2 में 45 एम0एम0 एवं 22.40 एम0एम0 का स्टोन बैलास्ट अन्डर साईज होने का उल्लेख किया गया है तथापि इसके संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :-

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सहित ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा परिचालित **Quality Assurance Handbook For Rural Roads** का प्रथम संशोधन दिसम्बर, 2016 में परिचालित किया गया, जिसमें प्रयुक्त होने वाले पत्थरों की साईज के संबंध में निम्नानुसार विचलन स्वीकार्य होने का उल्लेख है।

Engineer may allow ± 5 percent variation form the specified upper and lower limit excluding the first sieve in the grading.

इस पैकेज में जी0-2 में स्वीकृत प्राक्क्लन में पत्थर की दर विश्लेषण के आधार पर मिर्जापुर जनपद के क्वारी के पत्थर का प्राविधान किया गया था। मिर्जापुर जनपद के क्वारी में सेन्ड स्टोन की पत्थर है, जिसकी **Agregate crushing value (ACV) 29.80** तथा **Agregate impact Value (AIV) 27.4** है। अत: मिर्जापुर क्वारी की जी-2 की **ACV** एवं **AIV** अन्य खदानों के पत्थर की एवं **ACV** एवं **AIV** की तुलना में काफी अधिक होने यह स्पष्ट करता है कि मिर्जापुर क्वारी के पत्थर अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। इस मार्ग पर जी-2 का कार्य कराने के उपरांत जी-3 एवं वियरिंग कोर्स (पी0सी0) का कार्य कराने के मध्य लगभग 02 माह का समय अन्तराल रहा। इस दो माह की अवधि में निर्माणाधीन मार्ग से निरन्तर भारी एवं हल्के वाहनों का आवागमन होता रहा जिसके कारण जी-2 के स्टोन बैलास्ट टुटने एवं घिसने के कारण सम्पर्क मार्ग के चेक किये गये तीन चैनेजों में से मात्र एक चैनेज में जी-2 स्टोन ग्रेडिंग मानक के अनुसार नहीं पायी गयी।

मार्ग पर 23 जुलाई विशेष एस0क्यू0एम0 द्वारा जांच करवायी गयी थी। एस0क्यू0एम0 द्वारा जांच करते हुये मार्ग में प्रयुक्त जी-2 की ग्रेडिंग, मोटाई व कम्पैक्शन इत्यादि निर्धारित मानक के अनुरूप पायी गयी और मार्ग को **"S"** ग्रेड प्रदान किया गया। जी-2 एवं जी-3 एग्रीगेट एवं फिलर मैटेरियल लेइंग का कार्य मैनुवली किया जाता है, जिसके कारण यह संभव है कि स्थान विशेष में, एग्रीगेट जी-2 में अन्डर साईज की पत्थर लेइंग हो गयी हो। फिलर की मात्रा मानक के अनुरूप पायी गयी। मार्ग की पूरी लम्बाई में अन्डर साइज स्टोन एग्रीगेज नहीं पायी गयी। कार्य दिनांक 23.03.2019 को पूर्ण होने के उपरांत एस0क्यू0एम0 द्वारा दि0 29.08.2019 को कार्य का निरीक्षण किया गया जिसमें भी पैकेज के कार्य को **"S"** ग्रेड प्रदान किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का कार्य प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। कार्य सम्पादन हेतु शासन स्तर से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में योजना की गाईड लाइन में त्रिस्तरीय गुणवत्ता मानीटरिंग की व्यवस्था दी गयी है। प्रमुख सचिव उ0प्र0 ग्राम्य विकास अनु0-1 के शासनादेश दि0 23.06.2009 में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्यो की शिकायत होने पर शिकायत की जांच के संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"बहुत से प्रकरणों में मार्गो की गुणवत्ता/धीमी गति से कार्य होने आदि के संबंध में शिकायतें स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने पर उनका स्थानीय स्तर से जांच करायी जाती है। यहॉ यह अवगत कराना समीचीन होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली भारत सरकार द्वारा प्राविधानित है। इस परिस्थितियों में किसी भी शिकायत के प्रकरण पर तत्काल अभिकरण को सूचित किया जाना अपेक्षित है। अभिकरण स्तर से नामित स्टेट क्वालिटी मॉनीटर के साथ जॉच टीम द्वारा प्रकरण की जांच की जाएगी। सम्पर्क मार्गो के निर्माण पर किसी भी प्रकार की शिकायत की जांच पर अभिकरण द्वारा नामित स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की टिप्पणी अनिवार्य होगी।"

आरोपित कार्यो की जांच के संबंध में टी0ए0सी0 द्वारा उक्त शासनादेश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रकरण में शिकायत के क्रम में योजना की गाईड लाइन एवं उक्त शासनादेश के अनुपालन में ही उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा एस0क्यू0एम0 से जांच करवायी गयी है। नामित एस0 क्यू0एम0 द्वारा विस्तृत जांच की गयी, जिसकी जांच आख्या में आरोप में इंगित कार्य की ग्रेडिंग संतोषजनक दी गयी है तथा आरोप स्थापित नहीं पाये गये है।

कार्य तथा अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के संबंध में अवगत कराया गया है कि प्राविधिक परीक्षण (द्वितीय) द्वारा अपनी आख्या के पृष्ठ सं0-15 पर ये स्वीकार किया गया है कि "अधिशासी अभियंता द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसके अनुसार समस्त परीक्षण निर्धारित मात्रा में किये गये हैं। अत: अधीनस्थों पर नियंत्रणन रखने का आरोप निराधार है। अत: उक्त आरोप उन्हें अस्वीकार है। उनके द्वारा पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है तथा अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण भी रखा गया है। साथ ही प्रकरण में कोई शासकीय क्षति भी नही हुई है।

<u>जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना</u>

अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है "टी0ए0सी0 की आख्या दिनांक 18.04.2019 में उल्लेख किया गया है कि इस मार्ग के चैनेज 1.300 किमी0, चैनेज 2.415 किमी एवं चैनेज 3.950 किमी पर पिट काटकर चेक की गयी। निरीक्षण रिपोर्ट में जी-3 एवं जी-2 दोनो की मोटाई 7.50-7.50 सेमी0 पाये जाने का उल्लेख किया गया है" आरोप के साक्ष्य का अवलोकन करने पर अपचारी अधिकारी द्वारा बचाव उत्तर में इंगित उक्त अंश अभिलेखों पर आधारित होना पाया गया, अर्थात आरोप के साक्ष्य के अनुरूप स्टोन बैलास्ट से जी0-3, जी0-2 का कार्य, निर्धारित मोटाई में न करने की स्थिति नही पायी गयी।

निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी-3 एवं जी-2 का कार्य न कराने के संबंध में अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में किए गए उल्लेख के सापेक्ष परीक्षण करने पर पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा चैनेज 1850 मी0 से 2310 मी0 एवं 3125 से 4100 मी0 में जी0-3 का कोई कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नही करवाया गया। अत: निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी-3 का कार्य न कराने का आरोप साक्ष्य के अनुरूप न होने का कथन अभिलेखों पर आधारित होना परिलक्षित हुआ।

आरोप तथा आरोप के साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा चैनेज 1850 मी0 से 2310 मी0 एवं 3125 से 4100 मी0 में स्टोन बैलास्ट जी0-2 कार्य करवाया गया था। आरोप के साक्ष्य टी0ए0सी0 की जांच आख्या में चैनेज 3950 किमी0 पर जी0-2 में 45 एम0एम0 एवं 22.40 एम0एम0 का स्टोन बैलास्ट अण्डर साइज होने का उल्लेख किया गया है, जिसके संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :-

"प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सहित ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु एन0आर0आर0डी0ए0 द्वारा परिचालित **Quality Assurance Handbook For Rural Roads** का प्रथम संशोधन दिसम्बर 2016 में निम्नानुसार विचलन स्वीकार्य होने का उल्लेख है।

Engineer may allow ± 5 percent variation form the specified upper and lower limit excluding the first sieve in the grading. बचाव उत्तर में इंगित उक्त कथन अभिलेखों पर आधारित होना परिलक्षित हुआ।

अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि "इस पैकेज में जी0-2 में स्वीकृत प्राक्क्लन में पत्थर की दर विश्लेषण के आधार पर मिर्जापुर जनपद के क्वारी के पत्थर का प्राविधान किया गया था। मिर्जापुर जनपद के क्वारी में सेन्ड स्टोन की पत्थर है, जिसकी **Agregate crushing value (ACV) 29.80** तथा **Agregate impact Value (AIV) 27.4** है। अत: मिर्जापुर क्वारी की जी-2 की ACV एवं AIV अन्य खदानों के पत्थर की ACV एवं AIV की तुलना में काफी अधिक होने यह स्पष्ट करता है कि मिर्जापुर क्वारी के पत्थर अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं। इस मार्ग पर जी-2 का कार्य कराने के उपरांत जी-3 एवं वियरिंग कोर्स (पी0सी0) का कार्य कराने के मध्य लगभग 02 माह का समय अन्तराल रहा। इस दो माह की अवधि में निर्माणाधीन मार्ग से निरन्तर भारी एवं हल्के वाहनों का आवागमन होता रहा जिसके कारण जी-2 के स्टोन बैलास्ट टुटने एवं घिसने के कारण सम्पर्क मार्ग के चेक किये गये तीन चैनेजों में से मात्र एक चैनेज में जी-2 स्टोन ग्रेडिंग मानक के अनुसार नहीं पायी गयी।" बचाव उत्तर में इंगित उक्त कथन अभिलेखों पर आधारित होना परिलक्षित हुआ।

अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में इस मार्ग पर 23 जुलाई विशेष एस0क्यू0एम0 द्वारा जांच करने तथा प्रयुक्त जी-2 की ग्रेडिंग, मोटाई व कम्पैक्शन इत्यादि निर्धारित मानक के अनुरूप पाये जाने और मार्ग को **"S"** ग्रेड प्रदान किए जाने का उल्लेख करते हुये प्रमाण स्वरूप जॉच आख्या की पृष्ठ सं0-7-10 संलग्न करते हुये अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में यह भी उल्लेख किया है कि कार्य दिनांक 23.03.2019 को पूर्ण होने के उपरान्त एस0क्यू0एम0 द्वारा दि0 29.08.2019 को कार्य का निरीक्षण किया गया जिसमें भी पैकेज के कार्य को **"S"** ग्रेड प्रदान किया गया। संलग्न किए गए प्रपत्रों का अवलोकन करने पर अपचारी अधिकारी का कथन अभिलेखों पर आधारित होना पाया गया।

टी0ए0सी0 द्वारा पैकेज के तीन चैनेजों की जॉच में 02 चैनेज पर जी0-3 एवं जी0-2 के सभी साइजों के स्टोन बैलास्ट मानक के अनुरूप पायी गयी। टी0ए0सी0 जॉच में अपचारी अधिकारी द्वारा कराये गये चैनेज 3.950 किमी0 पर जी-2 में प्रर्युक्त होने वाले विभिन्न साईज के स्टोन बैलास्ट में से मात्र 22.4 एम0एम0 साईज के स्टोन बैलास्ट अण्डर साइज पाए जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी ने बचाव में यह भी उल्लेख किया है कि जी-2 एवं जी-3 एग्रीगेट एवं फिलर मैटैरियल लेइंग का कार्य मैनुवली किया जाता है जिसके कारण यह संभव है कि स्थान विशेष में, एग्रीगेट जी-2 में अण्डर साइज की पत्थर लेइंग हो गयी हो। फिलर की मात्रा मानक के अनुरूप पायी गयी। अत: सम्पूर्ण मार्ग की जॉच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में मात्र एक स्थान पर उक्त स्थिति पाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, तथा प्रयुक्त स्टोन सैण्डी स्टोन होने, जिसका ACV एवं AIV वैल्यू अपेक्षाकृत अत्याधिक होने को देखते हुये अपचारी अधिकारी को इसका लाभ दिया जा सकता है।

अपचारी अधिकारी ने बचाव उत्तर में उल्लेख किया है कि "भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना का कार्य प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग के नियंत्रण में उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। कार्य सम्पादन हेतु शासन स्तर से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्य की गुणवत्ता के संबंध में योजना की गाईड लाइन में त्रिस्तरीय गुणवत्ता मॉनीटरिंग की व्यवस्था दी गयी है। प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनु0-1 के शासनादेश दि0 23.06.2009 में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्यो की शिकायत होने पर शिकायत की जांच के संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"बहुत से प्रकरणों में मार्गो की गुणवत्ता/धीमी गति से कार्य होने आदि के संबंध में शिकायतें स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने पर उनका स्थानीय स्तर से जांच करायी जाती है। यहॉ यह अवगत कराना समीचीन होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय शिकायत के प्रकरण पर तत्काल अभिकरण को सूचित किया जाना अपेक्षित है। अभिकरण स्तर से नामित स्टेट क्वालिटी मॉनीटर के साथ जांच टीम द्वारा प्रकरण की जांच की जाएगी। सम्पर्क मार्गो के निर्माण पर किसी भी प्रकार की शिकायत की जांच पर अभिकरण द्वारा नामित स्टेट क्वालिटी मॉनीटर की टिप्पणी अनिवार्य होगी।" आरोपित कार्यो की जांच के संबंध में टी0ए0सी0 द्वारा उक्त शासनादेश पर कोई ध्यान नही दिया गया। यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिकायत के क्रम में योजना की गाईड लाइन एवं उक्त शासनादेश के अनुपालन में ही उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण द्वारा एस0क्यू0एम0 से जांच करवायी गयी है। नामित एस0क्यू0एम0 द्वारा विस्तृत जांच की गयी, जिसकी जांच आख्या में आरोप में इंगित कार्य की ग्रेडिंग संतोषजनक दी गयी है। तथा आरोप स्थापित नही पाये गये है" बचाव उत्तर में इंगित स्थिति तथा प्रमाणिकता स्वरूप संलग्न किए गए शासनादेश का अवलोकन करने पर, बचाव उत्तर में इंगित अभिलेखों पर आधारित होना परिलक्षित हुआ।

MORD की विशिष्ट के प्रस्तर-405 के अनुसार बेस कोर्स में प्रयोग होने वाले एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू 40 से कम होनी चाहिए। अपचारी अधिकारी के उत्तर के अनुसार प्रयोग किये गये पत्थर की इम्पैक्ट वैल्यू 27.4 है जो उचित है। केवल 2 माह में पत्थर का क्षरण नही हो सकता। 3 स्थानों की चेकिंग 2 जगह सही पायी गयी, एस0क्यू0एम0 ने **"S"** दिया। पत्थर की लेइंग मैनुअल हेतु सीधे अवर अभियंता की जिम्मेदारी होती है। परन्तु सहायक अभियंता स्तर की सतर्कता के अभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। अत:इस लापरवाही के लिये अपचारी अधिकारी दोषी है।

इस आरोप में मूलत: जिन बिन्दुओं पर अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया था उसके सापेक्ष स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

क्र0सं0	**बिन्दु**	**निष्कर्ष**
1-	जी-2 एवं जी-3 का कार्य निर्धारित मोटाई में न कराना	नही स्थापित होता है
2-	जी-3 की ग्रेडिंग मानक के अनुसार न होना	नही स्थापित होता है
3-	जी-2 की ग्रेडिंग मानक के अनुसार न होना	मात्र 22.4 एमएम स्टोन बैलास्ट न होना सहायक अभियंता की सतर्कता का अभाव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निष्कर्ष -

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपचारी अधिकारी पर आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

जॉच अधिकारी की जांच आख्या में मात्र 22.4 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट के संबंध में सतर्कता का अभाव मानते हुये आरोप को आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है। इस संबंध में अवगत कराया गया है कि मार्ग के मात्र चेनेज 1850 से 2310 एवं 3125 से 4100 मी0 में उनके नियंत्रण में अवर अभियंता द्वारा जी0-2 का कार्य करवाया गया था। उक्त चैनेजों में कराये गये जी0-2 कार्य की क्वालिटी इंनशियोरेन्स रजिस्टर में कार्यमद की चेकिंग करते हुये मानक के अनुरूप निर्माण सामग्री प्रयोग किया गया। क्यू0सी0आर0 पंजिका मेनटेन करने तथा परीक्षण करने का उल्लेख आरोप के साक्ष्य टी0ए0सी0 की जांच आख्या में की गयी है। इसके अतिरिक्त इस कार्य पर चेक करने आये एस0क्यू0एम0 द्वारा क्यू0सी0आर0 पंजिका मेनटेन करने तथा निर्धारित मात्रा में परीक्षण करने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है। उनके द्वारा भुगतान किए गये चैनेज 1850 से 2310 एवं 3125 से 4100 मी0 के मध्य उनके समक्ष अवर अभियंता द्वारा चैनेज 3700 एवं 3900 मी0 पर दि0 25.10.2018 को तथा चैनेज 2300 मी0 पर 28.07.2018 को एवं चैनेज 840 मी0 पर दिनांक 03.11.2018 को चेकिंग की गयी थी, जिसमें जी0-2 में स्टोन बैलास्ट की ग्रेडिंग निर्धारित मानक के अनुरूप सही पायी गयी थी। चैनेज 1850 से 2310 एवं 3125 से 4100 मी0 के मध्य चैनेज 2210 एवं 3570 मी0 में एस0क्यू0एम0 इं0 एम0एम0 रिजवी द्वारा दि0 25.12.2018 को उनकी अनुपस्थिति में चेकिंग की गयी थी, जिसमें भी जी0-2 में स्टोन बैलास्ट की ग्रेडिंग निर्धारिम मानक के अनुरूप पायी गयी थी। उनके द्वारा भुगतान किए गए जी0-2 कार्य चैनेज1850 से 2310 एवं 3125 से 4100 मी0 के मध्य चैनेज 3950 मी0 पर टी0ए0सी0 द्वारा दि0 27.02.2019 को चेक करने पर जी0-2 की ग्रेडिंग में विचलन पाया गया।

उपरोक्ता से स्पष्ट है कि चैनेज 1850 से 2310 अर्थात 460 मी0 तथा चैनेज 3125 से 4100 अर्थात 975 मी0 कुल 1435 मी0 लम्बाई में उनकी देखरेख में मात्र जी0-2 का कार्य करवाया गया था, जिसमें से उपरोक्त इंगित स्थिति के अनुसार विभागीय स्तर पर-4, एस0क्यू0एम0 स्तर पर-2 एवं टी0ए0सी0 द्वारा 01, कुल 07 चैनेजों में जांच की गयी। इन 07 चैनेजों में से मात्र चैनेज 3950 मी0 जी0-2 में प्रयुक्त होने वाले एग्रीगेट 75 एम0एम0, 63 एम0एम0, 53 एम0एम0, 45एम0एम0 एवं 22.4 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट में से 75एम0एम0, 63एम0एम0, 53एम0एम0, 45एम0एम0 स्टोन बैलास्ट की सींव पासिंग टी0ए0सी0 की जांच में सही पायी गयी, मात्र 22.4 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट की सींव पासिंग अण्डर साइज पायी गयी। उनके बचाव उत्तर में उल्लेख किया था कि जी0-2 का लेइंग मैनुवली की जाती है, जिसको जांच अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया। निर्धारित ग्रेडिंग की जी0-2 डम्पर पर लाने के बाद मैटेरियल गिराने में स्थान विशेष अर्थात अंत में छोटी गिटटी अपेक्षाकृत अधिक गिर जाती है, जिसके कारण स्थान विशेष में मात्र 22.4 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट की सींव पासिंग अण्डर साईज पायी गयी, जिससे मार्ग की स्थायित्व एवं गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पडा है। 1435 मी0 लम्बाई में प्रत्येक स्थान पर स्टोन बैलास्ट की 75एम0एम0, 63एम0एम0, 53एम0 एम0, 45एम0एम0, एवं 22.4एम0एम0 साईज के पत्थरों को चेक किया जाना न केवल अव्यावहारिक एवं असंभव भी है।

3- उपरोक्त वर्णित स्थिति में अपचारी अधिकारी, श्री अंसारी द्वारा उनके विरूद्व जांच अधिकारी की जांच आख्या में निर्माण कार्य की जी0-2 की मात्र 22.4 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट न होने हेतु आंशिक रूप से उत्तरदायी बताये जाने के संबंध में मुख्य रूप से अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मार्ग का उनके द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भुगतान किये जाने के समय 04 चैनजों, एस0क्यू0एम0 द्वारा 02 चैनजों तथा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 द्वारा 03 चेनजो अर्थात कुल 09 चैनेजों में जी0-2 की ग्रेडिंग मापी गयी, जिसमें से 08 चैनेजों में जी0-2 की ग्रेडिंग संतोषजनक पायी गयी है। टी0ए0सी0 द्वारा मापे गये एक मात्र चेनेज में जी0-2 की ग्रेडिंग संतोषजनक न पाया जाना मात्र कार्य पर जी0-2 की लेइंग मैनुअली किये जाने तथा निर्धारित ग्रेडिंग की जी-2 डम्पर पर लाने के बाद मैटेरियल गिराने के स्थान विशेष अर्थात अंत में छोटी गिटटी अपेक्षाकृत अधिक गिर जाती है जिसके कारण स्थान विशेष में मात्र 22.4 एम0एम0 स्टोन बैलास्ट की सींव पासिंग अण्डर साइज पायी गयी। साथ ही अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य में जी-2 हेतु स्वीकृत प्राक्कलन में पत्थर की दर विश्लेषण के आधार पर मिर्जापुर जनपद के क्वारी के पत्थर का प्राविधान किया गया था, जो कि सेन्ड स्टोन का पत्थर होता है। अत: मिर्जापुर क्वारी के पत्थर अपेक्षाकृत कम कठोर होते है। इस प्रकार उक्त मार्ग पर जी-2 का कार्य कराने के उपरान्त लगभग 02 माह के समय अन्तराल के बाद जी-2 एवं वियरिंग कोर्स (पी0सी0) का कार्य कराया गया है जिससे उक्त 02 माह की अवधि में निर्माणाधीन मार्ग से निरन्तर भारी एवं हल्के वाहनों का आवागमन होते रहने से भी जी-2 के स्टोन बैलास्ट का टूटना एवं घिसना स्वाभाविक है।

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री अख्तर अली अंसारी पर माधो सिंह जी0टी0 रोड से खमरिया होते हुये टेढवा एल0डी0 रोड निर्माण कार्य में टी0ए0सी0 की जांच आख्या दि0 18-04-2019 के अनुसार 03 स्थानों की चेकिंग में एक स्थान पर निर्धारित ग्रेडिंग का स्टोन बैलास्ट से जी0-2 का कार्य योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार न कराये जाने का आरोप आंशिक रूप से स्थापित होना पाया गया है। अतएव श्री अख्तर अली अंसारी के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-06-2019 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निर्माण कार्यो के प्रति और अधिक सजगता से करने हेतु भविष्य के लिये सचेत करते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-19/2020/161/(1)/92-2-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।

2- श्री अख्तर अली अंसारी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, पीआईयू-संतरविदास नगर (भदोही) सम्प्रति अधिशासी अभियंता प्रखण्ड-श्रावस्ती द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in